[illegible]

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय

संख्या 63/24 [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
4/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी 1, 2 लगायत 6 अनुपस्थित अतः प्रतिवादी का विरुद्ध का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 13.08.25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
13/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 26/8/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
26/08/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी 1, 2 ता 6 लगातार अनुपस्थित चल रहे है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी/वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28/08/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
28/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वास्ते आदेश दिनांक 29/08/25 [illegible] हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
29/08/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील [illegible] संख्या 192 वादी द्वारा साबित [illegible] किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

[signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 63/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.07.2024

जगदीश पुत्र सुण्डा जाति रैगर निवासी रैगरो का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. गणेश नारायण पुत्र रामदेव
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र घासी
3. नारायण पुत्र घासी
4. रामगोपाल पुत्र घासी
5. परमेन्दर पुत्र शिशुपाल पुत्र घासी
6. धरमेंन्दर पुत्र शिशुपाल पुत्र घासी
   समस्त जाति रैगर निवासी रैगरो का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कालवाड जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री महावीर प्रसाद शेरावत – अधिवक्ता वादी की ओर से

दिनांक 29.08.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर मे स्थित है जो की वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी ही सअधिकार काबिज काश्त है और कृषि कार्य करकें अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है, इस भूमि को आगे के पैराज में भूमि वादग्रस्त कहा गया है। भूमि विवादग्रस्त का मूल खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिघा 8 बिस्वा थे जिसका विभाजन होने पर खसरा नम्बर 1... 2 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा वादी व उसके भाईयों को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात इस खसरे के नवीन खसरा नम्बर 492, 495, 497, 492/790, व 791/871 बनाये गये, जिसमें वादी को भूमि खसरा नम्बर 492, 492/790, व 491/871 प्राप्त हुई, इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 491/871 का वादी तनहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

खातेदार काश्तकार है । भूमि वादग्रस्त खसरा 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा भूमि वादग्रस्त पर वादीगण के अलावा अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा नही किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार ही है। वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि वादग्रस्त पर अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नही है, न ही किसी भी प्रकार का अन्य व्यक्ति का भूमि वादग्रस्त पर कोई लेना देना ही है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 491 जो कि वादी की भूमि की पश्चिमी सीमा की ओर लगती हुई और भूमि खसरा नम्बर 493 जो कि वादी की भूमि की दक्षिण सीमा की ओर लगती हुई लेकिन चूंकि प्रतिवादी नम्बर लगायत 6 ने जबरन नाजायज रूप से वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का कार्य करते रहते है। तथा प्रतिवादीगण प्रोपर्टी कारोबारीयों साथ मिलकर भू माफिया गिरोह बना लिया है व अपने भू माफिया गिरोह के लोगों के साथ मिलकर खसरा नम्बर 491 व 493 की भूमि का विस्तार करना चाहते है तथा वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की सीमाए तोडकर भूमि को दबाना चाहते है तथा नाजायज रूप से वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है तथा अवैध रूप से जबरन तार बाउन्ड्री कर कब्जा करना चाहते है। जिनका प्रतिवादीगण कतई किसी भी प्रकार से कतई कोई हक व अधिकार नही है। वादी भूमि वादग्रस्त के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि पर सअधिकार कब्जे काश्त मे है। इसके विपरीत प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 व उसके गिरोह के सदस्यों का वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से किसी भी प्रकार से कतई कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा न ही किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार ही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रतिवादीगण अपनी भूमि की आड में वादीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास करते रहते है तथा प्रतिवादी जबरन भूमि पर धन बल व नाजायज रूप से खम्बे इत्यादी डालकर वादीगण को उसके विधिक अधिकारों से महरूम करना चाहते है तथा सीमाए बढाकर वादीगण की भूमि पर आधिपत्य जमाना चाहते है तथा जबरन अतिक्रमण करना चाहते है तथा अतिक्रमण करके निर्माण करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से कतई कोई हक व अधिकार नही है जबकि वादी को हक व अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा हेतू मान्य न्यायालय के समक्ष चाराजोई कर सके वादी शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया कि वे नाजायज रूप से वादी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि की सीमाए तोडकर अन्दर घुसने व अतिक्रमण करने का प्रयास नही करे। लेकिन वादी द्वारा समझाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण नही माने तथा उसने वादी को यह ऐलानिया धमकी दी कि वे सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

व सम्पन्न व्यक्ति है तथा उनका हर क्षेत्र मे प्रभाव है। वे प्रभाशाली है जिस कारण से वह प्रतिवादीगण अन्य दिगर व्यक्तियों के साथ मिलकर बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपनी मनमर्जी से तुम्हारी उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करेंगे और तुम वादी को अब आगे उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त करने नही देंगे, प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त प्रकार की धमकी दिये जाने के कारण वादीगण के मन मे यह युक्तियुक्त रूप से पूर्ण आशंका हो गई है कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 जो कि वास्तव में सक्षम व्यक्ति है तथा खतरनाक प्रवृति के व्यक्ति है तथा नाजायज रूप से गरीब किसानों की भूमि को हडपने का प्रयास करते है। वे अब वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर सकते है जिस कारण से वादी को अपने अधिकारों की रक्षा करवाने हेतू मान्य न्यायालय के समक्ष यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हो गया है जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 को मान्य न्यायालय द्वारा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जा सके तथा वादीगण के अधिकारों की रक्षा हो सके। दिनॉक 25.07.2024 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगातत 6 व उसके गिरोह के सदस्य एकराय होकर रात को 8 बजे आये भूमि वादग्रस्त की पश्चिमी सीमा पर तथा उन्होने वादी के कब्जेकाश्त की भूमि वादग्रस्त की पूर्वी सीमा जिस पर पुरानी बाउन्डी है को जबरन काटने लगे तथा सीमा तोड कर अन्दर घुसने का प्रयास करने लग गये व जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लग गये व वादी की भूमि पर लगी हुई पुरानी सीमा को तोडने लग गये तथा तार एंव खम्बे डालने लग गये तो वादीगण ने उनको काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वादी को समझाने के काफी प्रयास के बावजूद भी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 तथा उनके साथ आये लोग नही माने तथा सीमा तोडने पर अड़े रहे। प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्यों के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो लगातार उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण मान्य न्यायालय के समक्ष वादीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए श्रीमान मान्य न्यायालय के समक्ष वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिवादीगण वादी को भूमि विवादग्रस्त से जबरन बेदखल कर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये निर्माण आदि की कार्यवाही कर देंगे तो प्रार्थी को ऐसी बेजा क्षति व जेरबारी होगी जो किसी भी हालात मे पूरी नही की जा सकेगी, वादीगण का दावा पेश करने का मकसद ही कलेदम व फोत हो जावेगा, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिग्स होगी, जिसे रोका जाना विधिक रूप से आवश्यक है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध [illegible] प्रकार से डिकी फरमावें।

प्रतिवादीगण को जवाबदावा व साक्ष्य के समुचित अवसर [illegible] गये। जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 17.04.2025 को जवाब [illegible] का अवसर [illegible] किया गया।

पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वादी की भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टेयर का वादी रिकॉर्डेड काबिज तन्हा खातेदार काश्तकार है?

.......वादी

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर

2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है?
....वादी

3. अनुतोष

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 जगदीश पुत्र सुण्डा जाति रैगर, निवासी रैगरों का मोहल्ला, बाबा रामदेव मंदिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2074 से 2077 तक प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2074 से 2077– प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस हाल जो प्रदर्श –3 को वादी ने प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य के समुचित अवसर दिये गये। परन्तु प्रतिवादीगण अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2025 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के साक्ष्यों से जिरह भी नहीं की गई है।

प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से बहस प्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ता 6 के लगातार बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर दिनांक 26.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। न्यायिक दृष्टान्त, बहस पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया वादी की भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टेयर का वादी रिकॉर्डेड काबिज तन्हा खातेदार काश्तकार है?
.......वादी

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है, वादी ने जाहिर किया है कि भूमि विवादग्रस्त प्रार्थी के कब्जे–काश्त की भूमि है।

वादी ने तनकी संख्या 1 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2074 से 2077 खसरा 324 तक प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खाता 2[illegible] प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस हाल जो प्रदर्श –3 को वादी ने प्रदर्शित करवाया। वादी रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है, यह जमाबंदी (संवत 2074–2077) प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। फलस्वरूप वादी ने तनकी संख्या 1 बखुबी साबित किया है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है?

....वादी

उक्त तनकी साबित करने का भार वादी पर है। प्रमाणित जमाबंदी प्रतिलिपि संवत 2074 से 2077 प्रदर्श 1 एवं जमाबदी संवत प्रदर्श 2 से यह साबित है उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अर्थात संपूर्ण भूमि विवादग्रस्त के कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार है। वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर का वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है, यह जमाबंदी (संवत 2074–2077) प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। जमाबंदी (संवत 2074–2077) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर पर कब्जा है। तथा वादी ने अपने शपथ पत्र में भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर में मै तन्हा खातेदार हूं। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी ने इस तनकी को बखुबी साबित किया है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तदनुसार यह निर्णय सीमाज्ञान/सीमा निश्चियकरण के अध्यधिन रहेगा। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या — 63/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक — 26.07.2024

जगदीश पुत्र सुण्डा जाति रैगर निवासी रैगो का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. गणेश नारायण पुत्र रामदेव
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र घासी
3. नारायण पुत्र घासी
4. रामगोपाल पुत्र घासी
5. परमेन्दर पुत्र शिशुपाल पुत्र घासी
6. धरमेंन्दर पुत्र शिशुपाल पुत्र घासी

समस्त जाति रैगर निवासी रैगरो का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कालवाड जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा— 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 29.08.2025

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तदनुसार यह निर्णय सीमाज्ञान/सीमा निश्चियकरण के अध्यधिन रहेगा। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ———
ओहदा ———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपये	पैसे	मुदालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालत	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर